सं0 26012/4/76-अ0भा0से0(II)

भारत सरकार

गृहमण्डल मन्त्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

- - - -

नई दिल्ली-110001 दिनांक 20 नवम्बर, 1976

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव ।

विषय:- अखिल भारतीय सेवाओं के सेवानिवृत्त अधिकारियों को सार्वजनिक उद्यमों में पुनर्नियुक्त - वेतन निर्धारण के संबंध में -

महोदय,

इस विभाग के दिनांक 7 जनवरी, 1975 के पत्र संख्या 19/1/74-अ0भा0से0(II) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगे गए हैं कि पुनर्नियुक्ति के पद के निर्धारित वेतनमान की वह स्टेज क्या होगी जिस पर भा0प्र0से0 के किसी सदस्य का वेतन निर्धारित किया जाना होता है, अर्थात् क्या वेतन, पुनर्नियुक्ति के पद के निर्धारित वेतनमान की न्यूनतम स्टेज पर निर्धारित किया जाना है अथवा सेवानिवृत्ति सुविधाओं के बराबर पेंशनरी कम करके अधिकारी को सेवा निवृत्ति के समय उसके द्वारा लिए जा रहे वेतन के समतुल्य की स्टेज पर है ।

2- इस मामले को वित्त मंत्रालय (सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो) के परामर्श से ले गई है। वित्त मंत्रालय का दिनांक 23 सितम्बर'1969 का का0ज्ञा0सं0 2(57)/68-बी0पी0ई0(जी0एम0) जो कि इस विभाग के दिनांक 7 जनवरी, 1975 के उपर्युक्त पत्र द्वारा सभी भारतीय सेवाओं पर लागू किया गया है, उक्त पद के वेतनमान में किसी विशेष स्टेज पर पुनर्नियुक्त व्यक्तियों के वेतन निर्धारण के संबंध में किसी प्रकार का प्रतिबंध निर्धारित नहीं करता है। ऐसे प्रतिबंध के अभाव में राज्य सरकार का कर्त्तव्य है कि वह ऐसी रीति निश्चित करे जिससे वेतन निर्धारित किया जाना चाहिए। परन्तु इस प्रकार निर्धारित किए गए वेतन से पेंशन तथा पेंशनरी इक्विवेलेन्ट कम कर दिए जाने चाहिए ।

3- यदि अखिल भारतीय सेवा का कोई सेवानिवृत्त सदस्य किसी केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम में सर्वोच्च पद पर पुनर्नियुक्त किया जाता है अर्थात् जिस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो उसका वेतन केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

भवदीय,

(वी0के0चेरियन)

डैस्क अधिकारी

- - - 2/-

सं0 26012/4/76-अ0भा0से0(II) दिनांक 20 नवम्बर, 1976

प्रति सूचनार्थ निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1- भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली-110001

2- महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व तथा महालेखाकार वाणिज्य निर्माण तथा विविध नई दिल्ली सहित सभी महालेखाकार ।

3- वित्त मंत्रालय (उद्यम ब्यूरो) को उनके दिनांक 23-10-1976 के अनौपचारिक पत्र सं0 4688/बी0 पी0 ई0/जी0एम0-1/76 के संदर्भ में ।

4- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग ।

(वी0के0नेरियान)
डेस्क अधिकारी

50 अतिरिक्त प्रतियाँ ।